

राजस्व वाद सं. 272/2018 अनवान विनोद कुमार बनाम सरस्वती देवी आदि
अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्लदाई
(आदेश 20 नियम 6-7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:- 272/2018

1. विनोद कुमार पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—वादी

—बनाम:—

1. सरस्वती देवी पत्नी राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जयप्रकाश पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. कुलदीप पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. उर्मिला पुत्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. रामकुमार पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. संतोष देवी पत्नी विनोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. दीपक पुत्र विनोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. रविना पुत्री विनोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. रामस्वरूप पुत्र भीयांराम जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. रोशनी पत्नी काशीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. कमला पत्नी जयपाल जाति बिश्नोई निवासी चक 18 एलजीडब्ल्यू ढाबां झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
12. कृष्णलाल पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 18 एलजीडब्ल्यू ढाबां झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
13. प्रबंधक ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गोलुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. प्रबंधक एसबीआई शाखा हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
15. प्रबंधक एसबीआई शाखा गोलुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
16. प्रबंधक एसबीआई शाखा गुरुसर मोडिया जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
17. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट. 1955




यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु मेरे बहाजरी श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता वादी व श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद पत्र में विभाजन प्रस्ताव पालना प्राप्त होने पर प्रकरण में वादी वाद पत्र में रास्ता व खाला की सुविधा के साथ खाता विभाजन का यह प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रकरण में पूर्व में 2 बार विभाजन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्व वाद सं 272/2018 अनवान विनोद कुमार बनाम सरस्वती देवी आदि प्रस्ताव प्राप्त किये जा चुके हैं। वादी द्वारा दोनों बार हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं तथा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। वादी का प्रार्थना पत्र वाद पत्र अनुसार या अन्य व्यवस्था से विभाजन प्रस्ताव में रास्ते की सुविधा नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र में चूंकि 2 बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जा चुके हैं। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया व प्रस्ताव में वाद पर सहमति नहीं हुई। यदि वाद पत्र प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाता है तो विवाद अधिक बढ़ने की संभावना है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान राजस्व मण्डल के नियम 18 ता 21 की पालना नहीं की जा सकती है। वादी का वाद पत्र विभाजन किये जाने से वाद बढ़ाने की संभावना को देखते हुए इसी स्तर पर वादी को पुनः वाद पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र मय प्रतिवाद पत्र खारीज किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 13/5/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता विनोद) ~~उपखण्ड अधिकारी~~ ~~राजस्थान~~
उपखण्ड अधिकारी राजस्थान
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा